UPAG010067652026

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, आगरा

उपस्थित : पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2917/2026

सनी उर्फ चेला, उम्र करीब 20 वर्ष, पुत्र अरविन्द कुमार, निवासी–नगला बझेरा अम्बेडकर पार्क के पीछे, थाना सदर, जिला–आगरा

——— प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

——— विपक्षी

मु0अ0सं0–300/2026
धारा–305(ए), 331(4), 317(2), 3(5) बी.एन.एस.
थाना–सदर बाजार, जिला आगरा

दिनांक 30.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सनी उर्फ चेला** की ओर से मु0अ0सं0–300/2026, अन्तर्गत धारा–305(ए), 331(4), 317(2), 3(5) बी.एन.एस., थाना सदर बाजार, जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पिता अरविन्द कुमार के शपथ पत्र से समर्थित है, जिसमें यह वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जामनत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सुनील कुमार द्वारा, थाना सदर बाजार, जिला आगरा पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि– दिनांक 17.05.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मेरे घर सेवला सराय नगला परसोती नीयर एस0 एस0 स्कूल के पीछे आगरा में रात्रि के समय किन्ही अज्ञात चोरों द्वारा मेरे घर में चोरी कर ली गई है जिसमें सोने चांदी के आभूषण चोरी चले गये हैं। जिन्हे मैने आसपास सभी जगह खोजा व पता किया। लेकिन उपरोक्त चोरी गये माल का कोई पता नहीं चल सका है। रिपोर्ट लिखकर उपरोक्त चोरो के विरूद्ध कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

4– वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार, जिला आगरा पर अज्ञात के विरूद्ध मु0अ0सं0 300/2026 धारा–305(ए) बी.एन.एस. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। दौराने विवेचना गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर धारा–331(4), 3(5), 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तको उपरोक्त केस में वादी ने पुलिस से मिलकर गाँव की पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसा दिया है। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। वह पूर्णतः निर्दोष है। घटना दिनांक 17.05.2026 को रात्रि की बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.05.2026 को समय करीब 05.17 बजे अज्ञात में दर्ज कराई गई है तथा चोरी का कोई भी समय अंकित नहीं किया गया है और न ही घटना में चोरी हुये माल के बारे में बताया गया है कि कौन–कौन से जेवरात चोरी हुये है। घटना के करीब–करीब 8 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और जनता का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है और किसी प्रकार की कोई बरामदगी अभियुक्त से नहीं हुई है, जबकि अभियुक्त को घर से ले जाकर झूंठी बरामदगी दिखायी गई है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार आगरा में निरूद्ध है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2026 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज हो चुका है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने की याचना की गई।

6– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

7– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता व विद्धान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर चोरी करने, अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के गिरफतार किये जाने पर चोरी किए गए आभूषण व नकदी बरामद किए जाने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 17.05.2026 की दर्शायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 25.05.2026 को लगभग 08 दिन बाद थाने पर दर्ज करायी गयी है। फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफतारी दिनांक 27.05.2026 को सार्वजनिक स्थान की दर्शायी गयी है तथा गिरफतारी के समय प्रार्थी/अभियुक्त से चोरी के 4 अदद कान की बाली (जनाना पीली धातु), 3 अदद पायल (जनाना सफेद धातु) तथा 160/–रुपये बरामद होना दर्शाये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफतारी तथा बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गयी है, किन्तु कथित गिरफतारी व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपराध उपरोक्त में दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है।

9– अतएव प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार में अभियुक्त को कतिपय शर्तो के अधीन जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **सनी उर्फ चेला** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप, दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :–

1. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त समान प्रकृति के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में संबंधित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांक 30.06.2026

ह0
(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
आगरा।
आई0डी0 नं0–यूपी–6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2026.06.30 19:34:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court